



## केपिटल हेल्थ की वित्तीय सहायता नीति साधारण भाषा सारांश

केपिटल हेल्थ वित्तीय सहायता नीति/कार्यक्रम (फ़ाइनेंशियल असिस्टेंस पॉलिसी/प्रोग्राम, एफ़एपी) पात्र रोगियों को केपिटल हेल्थ द्वारा प्रदत्त आंशिक या पूर्णतः छूट-युक्त स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने के लिए उपलब्ध है। वित्तीय सहायता चाहने वाले रोगियों को कार्यक्रम के लिए आवेदन करना होगा जिसका सारांश इस दस्तावेज़ में दिया गया है।

पात्र सेवाएं – केपिटल हेल्थ द्वारा प्रदत्त और केपिटल हेल्थ द्वारा बिल की जाने वाली स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं। एफ़एपी केवल केपिटल हेल्थ द्वारा बिल की जाने वाली सेवाओं पर लागू होता है। अन्य प्रदाताओं, जैसे चिकित्सकों या प्रयोगशालाओं द्वारा अलग से बिल की जाने वाली अन्य सेवाएं एफ़एपी के अंतर्गत पात्र नहीं हैं।

पात्र रोगी – पात्र सेवाएं प्राप्त कर रहे ऐसे रोगी जो पूर्ण भरा हुआ वित्तीय सहायता आवेदन (जिसमें संबंधित दस्तावेज़/जानकारी शामिल हैं) जमा करते हैं, और जिन्हें केपिटल हेल्थ द्वारा वित्तीय सहायता हेतु पात्र पाया गया हो।

आवेदन कैसे करें – एफ़एपी एवं संबंधित आवेदन प्रपत्र को निम्नवत प्राप्त/पूर्ण/जमा किया जा सकता है:

1. केपिटल हेल्थ की मुख्य बहिर्रोगी पंजीयन यानि आउटपेशेंट रजिस्ट्रेशन डेस्क या कैशियर डेस्क से प्राप्त करें।
2. केपिटल हेल्थ के रोगी खाता विभाग को 609-394-6023 पर कॉल कर दस्तावेज़ों को आप तक डाक से भेजे जाने का अनुरोध करें।
3. डाक द्वारा/या यहां स्वयं मिलकर दस्तावेज़ों का अनुरोध करें: 750 Brunswick Avenue, Trenton, NJ 08638 पर स्थित केपिटल हेल्थ रीजनल मेडिकल सेंटर की मुख्य लॉबी में अथवा One Capital Way, Pennington, NJ 08534 पर स्थित केपिटल हेल्थ मेडिकल सेंटर - होपवैल में मुख्य तल पर स्थित केपिटल हेल्थ का कैशियर ऑफ़िस। (केपिटल हेल्थ वित्तीय सहायता नीति डाक द्वारा, या दोनों में से किसी भी स्थान पर स्वयं मिलकर अनुरोध करने पर भी उपलब्ध है।)
4. दस्तावेज़ों को केपिटल हेल्थ की वेबसाइट से डाउनलोड करें: <https://www.capitalhealth.org>
5. पूर्ण किए हुए आवेदनों को (आवेदन के निर्देशों में निर्दिष्ट समस्त दस्तावेज़ों/जानकारी के साथ) अग्रांकित पते पर डाक से भेजें: Capital Health's Patient Accounts Department, 750 Brunswick Avenue, Trenton, NJ 08638; या ऊपर #3 पर दिए गए पते पर स्वयं आकर दें।

वित्तीय सहायता पात्रता का निर्धारण – सामान्यतः पात्र व्यक्ति, स्लाइडिंग स्केल का उपयोग करते हुए वित्तीय सहायता के लिए तब पात्र होते हैं जब उनकी पारिवारिक आय संघ सरकार के संघीय निर्धनता दिशानिर्देशों (फ़ेडरल पॉवर्टी गाइडलाइंस, एफपीजी) के 200% पर या उससे कम हो। वित्तीय सहायता के लिए पात्रता का अर्थ है कि पात्र व्यक्तियों की देखभाल को पूर्ण या आंशिक कवरेज दिया जाएगा, और उन्हें बीमित व्यक्तियों के लिए “सामान्यतः बिल की जाने वाली राशियों” (एजीबी) (आंतरिक राजस्व सेवा द्वारा आई.आर.सी. सेक्शन 501 (r) में यथा-परिभाषित एजीबी से अधिक की राशि बिल नहीं की जाएगी)। एकमात्र पारिवारिक आय एवं एफपीजी पर आधारित वित्तीय सहायता स्तर इस प्रकार हैं:

- पारिवारिक आय एफपीजी का 0 से 200%

पूर्ण वित्तीय सहायता; रोगी को \$0 बिल किया जाएगा।

- पारिवारिक आय एफपीजी का 200 से 300%

आंशिक वित्तीय सहायता; रोगी को बिल किया जाने वाला एजीबी अधिकतम होगा।

नोट: एफपीजी से परे अन्य मानदंडों पर भी विचार किया जाता है (उदाहरण के लिए नकदी या नकदी में बदली जा सकने वाली अन्य परिसंपत्तियों की उपलब्धता एवं मासिक घरेलू व्ययों के सापेक्ष मासिक शुद्ध आय का आधिक्य), जिनके कारण पूर्वोक्त से अपवाद उत्पन्न हो सकते हैं। यदि कोई भी पारिवारिक आय सूचित नहीं की गई है, तो यह जानकारी आवश्यक होगी कि दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जाती है। केपिटल हेल्थ का रोगी खाता विभाग जमा किए गए उन आवेदनों की समीक्षा करता है जो पूर्ण हैं, और केपिटल हेल्थ की वित्तीय सहायता नीति के अनुसरण में वित्तीय सहायता की पात्रता निर्धारित करता है। अपूर्ण आवेदनों पर विचार नहीं किया जाता, पर आवेदकों को इस संबंध में सूचित कर दिया जाता है और अप्राप्त दस्तावेज़/जानकारी प्रदान करने का अवसर दिया जाता है।

केपिटल हेल्थ अपने एफएपी, एफएपी आवेदन प्रपत्र और अपने एफएपी के साधारण भाषा सारांश का अनुवाद ऐसे मामलों में अन्य भाषाओं में करता है जहां केपिटल हेल्थ द्वारा सेवित समुदाय के निवासियों की प्राथमिक भाषा, केपिटल हेल्थ के उपयोग की संभावना वाले व्यक्तियों के जनसमूह का 5 प्रतिशत या 1000; जो भी कम हो; का प्रतिनिधित्व करती है। अनूदित संस्करण नीचे दिए गए पते पर स्वयं मिलकर अनुरोध करने पर और केपिटल हेल्थ की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

सहायता, सहयोग या प्रश्नों के लिए कृपया: केपिटल हेल्थ के रोगी खाता विभाग को 609-394-6023 पर कॉल करें; स्वयं आकर मिलने के लिए सोमवार से शुक्रवार अपराह्न 1:30 बजे से अपराह्न 1 4:30 बजे तक 750 Brunswick Avenue, Trenton, NJ 08638 पर स्थित केपिटल हेल्थ रीजनल मेडिकल सेंटर की मुख्य लॉबी में अथवा सोमवार से शुक्रवार प्रातः 8:00 बजे से अपराह्न 12.00 बजे तक One Capital Way, Pennington, NJ 08534 पर स्थित केपिटल हेल्थ मेडिकल सेंटर - होपवैल में मुख्य तल पर स्थित केपिटल हेल्थ के कैशियर ऑफिस में आएं।